

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज

दिनांक- नवम्बर 20, 2020

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ***380 वाहनों का चालान, 31 वाहनों से कुल 23100/-रूपया शमन शुल्क वसूल*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा ***188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 00*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व ***मास्क न लगाने वाले कुल- 53 व्यक्तियों से 5300/- रुपये शमन शुल्क*** वसुला गया।

शान्ति भंग की आशंका के महेनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से ***कुल- 15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त जयश्री पुत्र राजेंद्र नि0 सेमरहवा थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0- 313/20 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. रामकिशुन पुत्र छेदी भारती नि0 बजही थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 13 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0- 509/20 धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

2. महेन्द्र भारती पुत्र बेचन भारती नि0 बजही थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 14 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0- 510/20 धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. छोटेलाल प्रजापती पुत्र पतिराम नि0 चन्दनपुर थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 18 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0- 268/20 धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

2. रामनरेश गौड़ पुत्र गंगाराम नि0 बड़गो थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0- 269/20 धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रविन्द्र साहनी पुत्र कल्लू नि0 परसा सोनौली थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 12 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0- 211/20 धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

पशु क्रूरता अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त निरहू पुत्र गयादीन सा0 निपनिया थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 01 अदद पड़बा के क्रूरता पूर्वक मारते पीटते हे ले जाने पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 -210/20 धारा- 11 क पशु क्रूरता अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए ***कुल-13*** विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 19/20-11-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 22 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।